"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 मार्च 2007—फाल्गुन 21, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 12 मार्च, 2007 (फाल्गुन 21, 1928)

क्रमांक- 3741/विधान/2006.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 3 सन् 2007), जो दिनांक 12 मार्च, 2007 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 3 सन् 2007)

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2007

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के अन्ठावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) अधिनियम, 2007 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 38 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा 38 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"मंडी समिति निधि में प्राप्त समस्त धन तथा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अन्य राशियां किसी सहकारी बैंक में, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 11 (1) के प्रावधानों का पालन कर रही है अथवा डाक घर में अथवा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे पात्र बैंकों में से किसी में ज़मा किया जायेगा."

धारा 43 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुए समस्त धन किसी सहकारी बैंक में, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 11 (1) के प्रावधानों का पालन कर रही है अथवा डाक घर में अथवा राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे पात्र बैंकों में से किसी में जमा किया जायेगा."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मण्डी समिति की निधि के सुरक्षित जमा एवं व्ययन के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मण्डी समिति की राशि ऐसे बैंकों/पोस्ट आफिसों में जमा करने का निर्णय लिया गया है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 11 (1) की शर्तों का पालन करती हों. इसी निर्णय के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (सन् 1973 का क्र. 24) में संशोधन का निर्णय लिया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 26 फरवरी, 2007

ननकी राम कंवर
कृषि मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 38 की उपधारा (2) तथा धारा 43 की उपधारा (7) का उद्धरण.

* *

वर्तमान प्रावधान

38 (2) मंडी समिति निधि में के समस्त धन तथा उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई अन्य राशियां किसी सहकारी बैंक में, या यदि मंडी समिति के मुख्यालय पर ऐसा बैंक विद्यमान न हो तो डाकघर बचत बैंक में या किसी ऐसे बैंक में, जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 (क्र. 05 सन् 1970) की प्रथम अनुसूची में तत्समय नवीन बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, निक्षिप्त की जायेगी.

* *

43 (7) छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुये समस्त धन किसी सहकारी बैंक में, या यदि बोर्ड के मुख्यालय पर ऐसा बैंक विद्यमान न हो तो डाकघर बचत बैंक में या किसी ऐसे बैंक में, जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 (क्र. 05 सन् 1970) की प्रथम अनुसूची में तत्समय नवीन बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, निक्षिप्त की जायेगी.

* *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007